( नियम 26)

# अज अदालत उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

श्रीमति लक्ष्मी देवी पुत्री स्व0 देवा बैरवा पत्नि देवीलाल बैरवा निवासी कल्याणपुरा हाल सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीया

बनाम

1. भैरू आत्मज श्री स्व0 नन्दा बैरवा निवासी कल्याणपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्रीमति मेतु पुत्री स्व0 नन्दा बैरवा निवासी कल्याणपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. नन्दा पिता हीरा बैरवा निवासी कल्याणपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. नारायण पिता हीरा बैरवा निवासी कल्याणपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. शान्तिलाल पिता हीरा बैरवा निवासी कल्याणपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कारोई कलां तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
8. सचिव/सरपंच ग्राम पचांयत रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
9. श्रीमति सुन्दर देवी खोईवाल पत्नि श्री सुवालाल खोईवाल निवासी चुंगीनाका के पास, पुर, तहसील व जिला भीलवाडा।

— विपक्षीगण

किस्म मुकदमा 212 नं0 1/17 सन् 2017

| नांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| .2017 | प्रकरण प्रस्तुत हुआ पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पेश। वकील वादी उपस्थित वकील वादी की बहस सुनी गई कि सरहद ग्राम कल्याणपुरा, पटवार हल्का रामपुरिया हाल (कारोईकला) तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 56 से 66, 76, 280/57, कुल किता 13 रकबा 11–02 बीघा, भूमि संयुक्त रूप से दर्ज है। विपक्षी संख्या 04, 05, 09 उक्त खाते की भूमि पर जबरन शक्ति के बल पर प्रार्थीया को बेदखल करना चाहते है, इसलिये विपक्षी संख्या 04, 05, 09 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे, कि वह मौके पर एवं रेकार्ड़ की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करावें।<br>मैनें प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष का है। अगर प्रार्थी को अपने खातेदारी हक अधिकार की भूमि से विपक्षी संख्या 04, 05, 09 द्वारा बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी।<br>अतः आदेश दिया जाता है सरहद ग्राम कल्याणपुरा प0ह0 कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 56 से 66, 76, 280/57, कुल किता 13 रकबा 11–02 बीघा, पर दिनांक 6–2–2017 तक प्रतिवादीगण सं0 4,5 एवं 9 पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त खाता संख्या में वादी एवं प्रतिवादी 4,5 एवं 9 की मौके पर यथास्थिति कायम रखें, एवं प्रार्थीया को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें । पत्रावली दिनांक 6–2–2017 को पेश हो।<br>04/01/17<br>उपखण्ड अधिकारी<br>भीलवाडा<br>उपखण्ड अधिकारी<br>भीलवाड़ा | |